वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वेब साइट : **www.vbspu.ac.in**

पत्रांक :पू.वि.वि. / सम्बद्धता / .... / .2014

दिनांक.......................

सेवा में,

प्रबन्धक,
राममूरत महिला महाविद्यालय, बड़सरा,
गाजीपुर ।

विषय–शैक्षिक सत्र 2014–15 से महाविद्यालय में बी.ए. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1103 / सत्तर–6–2014–2(97) / 2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु नवीन महाविद्यालयों / पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की आपात् बैठक के मद संख्या–1 ''ख'' पर लिये गये निर्णय के आलोक में राममूरत महिला महावि0 बड़सरा, गाजीपुर को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, प्रा0इतिहास राज0षास्त्र, समाजषास्त्र, उर्दू, भूगोल तथा गृहविज्ञान विषयों को संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है ।

1. महाविद्यालय / संस्था प्रपत्र–बी में उल्लिखित समस्त कमियों यथा अध्यापकों की नियुक्ति का प्रमाण, प्रबंध समिति का प्रमाण, प्राभूति राषि में विषय का प्रमाण संलग्न न होने सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण एक माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से इस आशय से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 10.10 के अन्तर्गत कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

3. महाविद्यालय/संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
4. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा ।
5. महाविद्यालय/संस्था रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
7. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबंधतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ।
4. परीक्षा नियन्त्रक को सूचनार्थ ।
5. टेक्निकल सेल विश्वविद्यालय के वेबसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु ।
6. सम्बन्धित पत्रावली ।

कुलसचिव